तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.12.19 चुन्नीलाल 5-12-19 श्यामलाल 5-12-19	पत्रावली पेश। वकील वादी एवं गवाह चुन्नीलाल व श्यामलाल उपस्थित हैं। शपथ-पत्र पेश किये गये। शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में वादी के साथ दस्तावेज पेश किये गये। शामिल पत्रावली किये। प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम दयपुरा सं. 2075-77 खाता नं. 50, प्रदर्श-2 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम दयपुरा, प्रदर्श-3 नकल फर्द मिलान ग्राम दयपुरा 2004-24, प्रदर्श-4 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम दयपुरा, तथा प्रदर्श-5 नकल निर्णय माननीय न्यायालय अति० सहायक आयुक्त प्रकरण सं. 97/15 चुन्नीलाल बनाम प्रहलाद निर्णय दिनांक 8.2.18, डाले गये। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया एवं वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विधिसंगत विचार किया गया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी के वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष एवं अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की। हस्ब प्रदर्श-1 वादी वादग्रस्त आराजी वाके माल मौजा छत्रपुरा खसरा नम्बर 124 रकबा 0.81 हेक्टर का अभिलिखित खातेदार है। प्रदर्श-2 वादग्रस्त भूमि के गिरदावरी की नकल है। प्रदर्श-3 वादग्रस्त भूमि का मिलान पैमाइश, प्रदर्श-4 वादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शा अक्स है। प्रदर्श-5 में धारा 136 LRAct 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 10.7.15 की अपील का निर्णय दिनांक 8.2.18 है। हस्ब राजस्व अभिलेख वादी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि का वादी धारा 5(43) में यथा परिभाषित व धारा 14 में यथा वर्णित खातेदार आसामी है। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से सरोकार नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत आदि की जाती है, तो इससे वादी को अपरिमित क्षति होना संभाव्य है। प्रतिवादी द्वारा यदि वादी को काश्त करने से बलपूर्वक रोका जाता है, या कब्जे से बेदखल आदि कर दिया जाता है, तो इससे वादी को क्षति होकर पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की प्रबल संभावना है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से प्रत्यक्ष या परोक्ष सरोकार प्रमाणित नहीं है।	
	प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम वादवादी को स्वीकार किया जाना उचित पाते है।	
	अत: दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है, कि वो ग्राम दमपुरा की भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 0.81 हेक्टर पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे, न अपने ऐजेन्ट के जरिये ही करावे। वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रहने दे।	
	यह आदेश परम्परागत रास्ते के रूप में प्रयोग हेतु बाधक नहीं रहेगा। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो।	
	निर्णय आज दिनांक 5-12-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।	
	5/12/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	